भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3603
17 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: प्रतिबंधित कीटनाशकों का उपयोग

3603. श्री अजय कुमार मंडलः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि फसलों, फलों और सब्जियों के उत्पादन/खेती में अनेक प्रतिबंधित कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे मानव स्वास्थ्य, पशुधन और मिट्टी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार एकीकृत कीट प्रबंधन दृष्टिकोण के अंतर्गत जैव कीटनाशकों के उपयोग को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है जिसमें बिहार सहित विभिन्न राज्यों में कीट नियंत्रण की सांस्कृतिक, यांत्रिक और जैविक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के विकल्प बायोस्लरी का उपयोग करके जैव-कीटनाशकों का विकास करने पर विचार कर रही है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में जैव कीटनाशकों/जैव उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): कीटनाशकों को कीटनाशक अधिनियम, 1968 (अधिनियम) और कीटनाशक नियमावली, 1971 द्वारा विनियमित किया जाता है। कीटनाशकों के निर्माण, आयात, भंडारण, बिक्री, वितरण, उपयोग आदि सभी पहलू इन विनियमों द्वारा संचालित होते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने गुणवत्ता वाले कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और प्रतिबंधित कीटनाशकों की बिक्री की जांच करने के लिए 11287 कीटनाशक निरीक्षकों की नियुक्ति की है। वर्ष 2023-24 के दौरान कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशालाओं में 80,789 कीटनाशक नमूनों का विश्लेषण किया गया, और जिनमें से 2,222 कीटनाशक नमूने खराब गुणवत्ता के पाये गए, जो कुल नमूनों का 2.7% है तथा उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। हालाँकि, इन नमूनों में कोई प्रतिबंधित कीटनाशक नहीं पाया गया।

एकीकृत कीट प्रबंधन (आई.पी.एम.), एक ऐसी कार्यनीति है जो कीट नियंत्रण के सांस्कृतिक, यांत्रिक और जैविक तरीकों को अपनाती है जिसे केंद्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्रों (सी.आई.पी.एम.सी.), कृषि विज्ञान केंद्रों (के.वी.के.) और राज्य कृषि विभागों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है। रासायनिक कीटनाशकों के विकल्प के रूप में जैव कीटनाशकों, जैव नियंत्रण एजेंटों और वानस्पतिक फार्मूलेशन्स के उपयोग को बढ़ावा देने, रासायनिक कीटनाशकों के सुरक्षित तथा विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सी.आई.पी.एम.सी. की जैव-नियंत्रण प्रयोगशालाएँ विभिन्न जैव-कीटनाशकों और जैव-नियंत्रण एजेंटों का उत्पादन करती हैं।

अब तक बिहार समेत सभी राज्यों में वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक 1930 किसान फील्ड स्कूल (एफ.एफ.एस.), दो दिवसीय/पांच दिवसीय 536 एच.आर.डी. कार्यक्रम चलाए गए और क्रमशः 62235 और 26985 किसानों/कीटनाशक डीलरों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक 64427 किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में 1897 जागरूकता अभियान चलाए गए।

जैव-उर्वरकों/जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत एक नया घटक, "जैव-उर्वरकों के नेटवर्क उत्पादन इकाइयों का विकास" शामिल किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन (एस.बी.एम.) के दूसरे चरण के अंतर्गत, कंप्रेस्ड बायो गैस प्लांट द्वारा उत्पादित लिक्विड फ़र्मेंटेड ऑर्गेनिक मन्योर (एल.एफ.ओ.एम.)/ फ़र्मेंटेड ऑर्गेनिक मन्योर (एफ.ओ.एम.) का उत्पादन बढ़ाने के लिए 1500 रुपये/एमटी की दर से बाजार विकास सहायता (एम.डी.ए.) प्रदान की जा रही है। सरकार एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को भी बढ़ावा दे रही है जिसमें मृदा स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत जैविक खाद के साथ-साथ पारंपरिक सिंथेटिक उर्वरकों का उपयोग शामिल है।

*****